एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण और डीपीआर की प्रक्रिया साथ-साथ शुरू होगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के एलायनमेंट को अपनी अनुमति प्रदान की थी।

अब इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण व डीपीआर की प्रक्रिया आगे बढ़नी है। एनएचएआइ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण व डीपीआर तैयार किए जाने की प्रक्रिया साथ-साथ चलेगी। इन दोनों परियोजनाओं के लिए 13 जिलों में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

तैयारी

- पटना-पूर्णिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी के लिए मिली अनुमति
- 13 जिलों में किया जाना है जमीन का अधिग्रहण

इन दो परियोजनाओं के लिए इन जिलों में जमीन अधिग्रहण

वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज

अब इस पर है तैयारी : एनएचएआइ के संबंधित अधिकारी ने कहा कि दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है। इसलिए जमीन अधिग्रहण तो बड़े स्तर पर होना है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 282 किमी है। इस एक्सप्रेस वे के लिए 90 मीटर चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके तहत वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा व मधेपुरा जिले में जमीन का अधिग्रहण होना है। लक्ष्य यह है कि अगले छह माह के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाए। योजना यह है कि जमीन अधिग्रहण और प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाए जाने का काम साथ-साथ चले।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को डीपीआर कंसलटेंट के लिए निविदा करनी है। वहीं गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 568 किमी है और बिहार में इसके तहत 417 किमी सड़क का निर्माण कराया जाना है।

इस प्रोजेक्ट के एलायनमेंट के तहत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए 100 मीटर चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण होगा।

'काला' के गठन के लिए संबंधित जिलों को लिखा जा रहा

जिन जिलों से दोनों एक्सप्रेस वे गुजर रहे उनके जिलाधिकारियों को कंपीटेंट अथारिटी आफ लैंड एक्वजीशन (काला) के गठन के लिए लिखा जा रहा। सड़क प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की मानीटरिंग काला के माध्यम से ही की जाती है। जमीन की प्रकृति किस तरह की है, इस बारे में भी काला की रिपोर्ट पर ही मुआवजा की दर तय होती है।